

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0-ग्री0का0/2018(लि0सं0)/253

दिनांक:जनवरी २३, 2018

सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भांति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2018 के अन्तर्गत जोनल एवं इकाई प्रभारी के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों, प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरण एवं अनुकम्पा के आधार पर लिपिक संवर्ग के निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- (1) पुलिस निरीक्षक(लिपिक)
- (2) पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक)
- (3) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)
- (4) पुलिस निरीक्षक(लेखा)
- (5) पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा)
- (6) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
- (7) पुलिस निरीक्षक(गोपनीय)
- (8) पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय)

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक 28.02.2018 तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष वाहक एवं साफ्ट कापी E Mail ID- digkarmik@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित "पुलिस स्थापना बोर्ड" के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मों की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2018 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र/जोनल एवं इकाई/मुख्यालय स्तर पर पूर्ण कर ली जाय:-

- (1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 10.02.2018 तक पूर्ण कर लें तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मय सेवाविवरण के निर्धारित प्रारूप में जोनल प्रभारी को उपलब्ध करायेगे।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक 20.02.2018 तक पूर्ण कर लेंगे।

- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण दिनांक: 28-02-2018 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा।
- (4) लिपिक संवर्गीय कर्मियों के स्थानान्तरण हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था0(लिपिक)/2015/1659 दिनांक 12.08.2015 एवं डीजी-चार-स्था0-(लिपिक)/2017/2771 दिनांक 03.10.2017 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति एवं शासनादेश संख्या: 1447/6-पु-1-14-650(59)/02 टीसी दिनांक 10.10.2014 एवं इस मुख्यालय के पत्र दिनांक: 22-06-2017 में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।
- (5) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाये जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।
- (6) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।
- (7) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांकित: 31-03-2018 तक पूर्ण कर ली जायेगी अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक: 31-03-2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।
- (8) परिक्षेत्र/जोनल/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2018 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2018 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण-

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले लिपिक संवर्गीय कर्मियों के प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुए अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र तथा पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप "क" में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा। इन सूचनाओं/आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद से दूरी सामान्यतया अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण-

1. एक परिक्षेत्र में 12 वर्ष के आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरण:- एक परिक्षेत्र में 12 वर्ष पूर्ण किये कर्मियों की सूची अलग से उपलब्ध कराई जाय। ऐसे कर्मी यदि अन्य श्रेणी में स्थानान्तरण की पात्रता में भी हो तो इनके नाम के सम्मुख इस आशय की विशिष्ट टिप्पणी अवश्य अंकित की जाय। एक परिक्षेत्र का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने वाले लिपिक संवर्गीय कर्मियों का समायोजन सर्वप्रथम जोनल स्तर पर

किया जाये तथा जिन कर्मियों का जोन स्तर पर समायोजन सम्भव न हो उनकी सूचना संलग्न प्रारूप-ग में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

2. **जनपदीय शाखा से अजनपदीय शाखा में अपेक्षित स्थानान्तरण:-** ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय (1) सहायक संवर्ग के कर्मी जो, जनपदों में लगातार 8 वर्षों से या उससे अधिक अवधि से नियुक्त हैं एवं अजनपदीय शाखा में कभी नियुक्त नहीं रहे हैं, अर्थात् अजनपदीय शाखा के प्रथम चरण हेतु उनका नामांकन/विवरण **परिशिष्ट (क)** के रूप में संलग्न किया जाये।
(2) इसी प्रकार ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मी जो लगातार 08वर्ष या उससे अधिक समय से नियुक्त हैं और अजनपदीय शाखा का प्रथम चरण पूर्ण नहीं किये हैं अर्थात् 04वर्ष से कम अवधि में नियुक्त रहे हैं, का नामांकन/विवरण **परिशिष्ट(ख)** के रूप में संलग्न किया जाये।
(3) ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मी जो, अजनपदीय शाखा का प्रथम चरण 04वर्ष पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपद में लगातार 08वर्षों से नियुक्त हैं अर्थात् अजनपदीय शाखा के द्वितीय चरण हेतु नामांकन/विवरण **परिशिष्ट (ग)** के रूप में संलग्न किया जाये।
(4) ऐसे लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मी जो अजनपदीय शाखा में द्वितीय चरण पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपद में लगातार 8 वर्षों से नियुक्त हैं अर्थात् अजनपदीय शाखा में तृतीय चरण हेतु उनका नामांकन/विवरण **परिशिष्ट (घ)** के रूप में उपलब्ध करायी जाय।
3. **अजनपदीय शाखा/मुख्यालयों से जनपदीय शाखा में अपेक्षित स्थानान्तरण:-** पीएसी वाहिनियों एवं अन्य अजनपदीय इकाईयों में नियुक्त उन लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की सूची विवरण सहित जो पीएसी या अन्य अजनपदीय शाखा के कार्यकाल का प्रथम, द्वितीय चरण या तृतीय चरण 4-4 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, रैंकवार एवं संवर्गवार अलग-अलग सूची **परिशिष्ट (क), (ख) एवं (ग)** के रूप में अलग-अलग इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 पुलिस विभाग के विभिन्न मुख्यालयों पर कार्यरत ऐसे लिपिक संवर्गीय कर्मी जिनका उपरोक्त विषयक स्थानान्तरण नीति में निर्धारित 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, का विवरण भी **परिशिष्ट (घ)** में उपलब्ध कराया जाये।
4. ऐसे लिपिक संवर्गीय कर्मी जिनका गृह जनपद इलाहाबाद अथवा लखनऊ है और वह जनपद लखनऊ अथवा इलाहाबाद स्थित मुख्यालयों पर कार्यरत हैं, और उनका (सम्बन्धित जनपद स्थित कार्यालय/मुख्यालय को मिलाकर)कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है का विवरण भी **परिशिष्ट(च)** में उपलब्ध कराया जाये।
5. उपरोक्त सम्बन्ध में भी इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि किसी लिपिक का नाम सूची में अंकित करने से छूटा नहीं है तथा सूची का निरीक्षण किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराकर ही **परिशिष्ट/पुलिस अधीक्षक/कार्यालयाध्यक्ष** के हस्ताक्षर से इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

3- प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण :-

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017 के शीर्षक "प्रशासनिक स्थानान्तरण" के बिन्दु संख्या 1 से 6 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।

4- ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं,


- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये उनकी सूचना प्रारूप-डी में संलग्न की जाये साथ ही ऐसे कर्मी जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी है तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाये।
- मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगनआदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुये स्थगन सम्बन्धी मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाये तथा प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाये।

सामान्य निर्देश

1. समयावधि पूर्ण कार्मिकों के सन्दर्भ में निर्धारित अवधि की गणना Cut of Date 30-04-2018 के आधार पर की जायेगी।

2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार-प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कर्मी अपने प्रार्थना-पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सकें तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।
3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
4. सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को कर्मांकित किया जाये तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाये।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशा० पत्रांक: 8/2008 दिनांक 29.01.2008 के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर (पी०एन०ओ०) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियाँ एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
8. ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जायें कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी०डी० तथा **E Mail ID- digkarmik@gmail.com** में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


 27/01/18
 (एस०बी० शिरडकर)
 अपर पुलिस महानिदेशक/
 पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग सी0डी0 में तैयार कराकर मय हार्ड कापी दिनांक 28.02.2018 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें:—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद/पीएसी/रेलवे/तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/यातायात निदेशालय/विशेष जांच/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू/अभिसूचना मुख्यालय/एसटीएफ/एसआईटी/मानवाधिकार/सतर्कता अधिष्ठान/रेडियो मुख्यालय/सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने शाखा/इकाई से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के प्रार्थना पत्र एवं सेवा विवरण सूची सहित अलग-अलग सी0डी0 में इस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में अपने जोन/परिक्षेत्र/सेक्टर/इकाई के पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक को समय से उपलब्ध कराये ताकि उनके स्तर से दिनांक 28.02.2018 तक पूर्ण सूचना इस मुख्यालय को भेजी जा सके:—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षणमहाविद्यालय, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर/ए0टी0सी0 सीतापुर।
- 2— सेनानायक, आरटीसी चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
- 3— सेनानायक, पीटीएस मेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव।
- 4— पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्मूलन अभियान, कानपुर।
- 5— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ0प्र0।
- 7— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, उ0प्र0।
- 8— समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।
- 9— पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, इलाहाबाद/झांसी/आगरा/मुरादाबाद/गोरखपुर/लखनऊ।
- 10— राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 11— मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

प्रकार-क
नाम जनपद / प्रकार-

अनुसूची के आधार पर स्थानान्तरण यादने वाले तिथिक संवर्ग का विवरण

क्र० सं०	पद	पूरुजा	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूरु नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय संवर्धी			पूरु नियुक्ति अजन्पदीय			अजन्पदीय संवर्धी		अजन्पदीय संवर्धी		अजन्पदीय संवर्धी		वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अजन्पदीय संवर्धी		स्थानान्तरण हेतु देना गवा विकल्प		स्थानान्तरण का प्रकार	या हे करी अजन्पदीय स्थानान्तरणहीन हो तो उसका आदेश संख्या दिनांक स्पष्ट कर से अधिक किया जाय	टिप्पणी		
							स्थान	कर से	कर तक	कुल मास	दिन	स्थान	कर से	कर तक	कुल मास	दिन	अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी		अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी				अजन्पदीय संवर्धी	अजन्पदीय संवर्धी
1	2	3	4	5	6	7	9			9			10			11		12		13	14	15		16		17	18	19			
1	SI (LPIK)	पूरुजा	वन्द कुमार सिंह	सिवान (बिहार)	05/02/1974	17/03/1994	संवर्धी	27-04-2002	18-12-2006	17-10-2012	26-07-2002	18-12-2006	17-10-2012	18-07-1995	04-05-1999	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	17-10-2012	अनुसूची		

प्रमाणित किया जाता है कि ----- के सम्बन्ध में अधिकृत उपरोक्त सूचनाओं से वा अनिलेख का भर्तीमाति परीक्षा करने के उपरान्त संचार की गयी है। जनपदीय एवं अजन्पदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अधिकृत सभी सूचनाओं पूर्णतया सत्य है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के बिना स्वयं निम्नोक्त संशोधन।

प्रमाण पत्र
(कार्यालय/प्रकार/प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(संसाधारण कार्यालय/प्रकार)
पदनाम एवं पुरर

प्रारूप-एड
नाम जनपद / इकाई-
प्रारूप-ख

क्र. सं.	पद	वीरनाथी	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्त जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्त अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि	वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्त तिथि	वर्तमान नियुक्त अवधि		स्थानांतरण का प्रकार	प्रशासनिक आचार पर स्थानांतरण का स्पष्ट कारण एवं संशुद्धि	यदि कमी अथवा उम्मीद आदेश संख्या दिनांक स्पष्ट रूप से अधिक किया जाय	टिप्पणी
							स्थान	काल से	काल तक	कुल मास दिन वर्ष	स्थान	काल से	काल तक	कुल मास दिन वर्ष	वर्ष	मास दिन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19										

प्रमाणित किया जाता है कि _____ के सम्बन्ध में अधिकतम उपरोक्त सूचनाएँ सेवा अभिलेख का महीनानिरी परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखा में की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अधिकतम सूचनाएँ प्रस्तुतियाँ सत्य हैं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के बिना स्वयं निम्नोक्त होगा।

प्रमाण पत्र
(अध्यात्मपत्र / प्रमती द्वारा जारी)

(सहायक अध्यात्मपत्र)
पदनाम एवं मुर

प्रारूप -ग
निर्धारित सभयावधि पूर्ण करने वाले विधिक सर्वग को जोन से बाहर स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र0 सं0	पद	पूरनओ	नाम	ररता नाम	का गुड	जनपद	जन्म रररर	भरती रररर	पूरु नररुकरत जनपदीय			जनपदीय सेवावधर			पूरु नररुकरत अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधर			कुल सेवा अवधर	वरतमान नररुकरत स्थान	वरतमान नररुकरत रररर	यरदर कूरु कर्मी हे ररररनररररगशीन ररर उररकरा पूरु वरररण	
									स्थान	करव से	करव तरक	कुल वरुष	माह दन	स्थान	करव से	करव तरक	कुल वरुष	माह दन	वरुष	माह दन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12			13	14	15			

प्रमाणरत कररर जातरा हे कर उरररररररत रुररननररुष सेवर अडरररररर कर नररीडडरररररर परररररर करररने के उरररररन रररररर करी गरी हे। जनपदीय एरु अजनपदीय शरररर में करी गरी सेवा अवधर करी गरणर सहे हे।
रुररी में करररी डी कर्मी कर नाम रुररर नररी है

प्रमाण पत्र
(करररररररररररररररर / प्रडररी हररर दररर जायेगर)

(हररररररर कररररररररररररर)
पदनाम एव डुररर

परिशिष्ट (क)

नाम जनपद / इकाई:-

जो लिखिक कर्मी जनपद में लगातार 8 वर्ष से नियुक्त हैं एवं अजनपदीय शाखा में कर्मी नियुक्त नहीं रहे का अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र0 सं0	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	मर्ता तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय		जनपदीय सेवावधि		पूर्व नियुक्ति अजनपदीय		अजनपदीय सेवावधि		कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणार्थीन हो तो उपका दिनांक आदेश रूप संख्या से अंकित किया जाय।	अन्वय टिप्पणी		
							स्थान से	कब तक	कुल वर्ष	माह दिन	स्थान से	कब तक	कुल वर्ष	माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								

प्रमाणित किया जाता है कि -----के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखा में की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (ख)

नाम जनपद / इकाई-

जो वित्तिक कर्म जनपदों में लगातार 8वर्ष से नियुक्त हैं एवं अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण 04वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं है का अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र0 सं0	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्ति अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि	वर्ष माह दिन	स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणाधीन हो तो उसका दिनांक आदेश संख्या रूप से अंकित किया जाय।	अन्य टिप्पणी
							स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह							
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12		13	14	15	16	17	18	

प्रमाणित किया जाता है कि _____के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभाँति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्म का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (ग) अजनपदीय

नाम जनपद / इकाई:-

जो लिपिक कर्मी अजनपदीय प्रथम चरण 04वर्ष पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपदों में लगातार 8वर्ष से नियुक्त हैं का अजनपदीय शाखा में द्वितीय चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र० सं०	पद पीएनओ	नाम गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्ति अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि			वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणाधीन उसका आदेश दिनांक स्पष्ट रूप अंकित किया जाय।	अन्वय संख्या से	टिप्पणी		
					स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												

प्रमाणित किया जाता है कि _____के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(इस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (घ)

नाम जनपद / इकाई:-

जो लिखित कर्मी अजनपदीय द्वितीय चरण 08वर्ष पूर्ण कर चुके हैं एवं जनपदों में लगातार 8वर्ष से नियुक्त हैं का अजनपदीय शाखा में तृतीय चरण स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र० सं०	पद	पीरनओ	नाम	गृह	जनपद	जन्म तिथि	मती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्ति अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि कर्म अथवा स्थानान्तरणार्थीन हो तो उसका आदेश स्पष्ट रूप से दिनांक दिया जाय।	अभ्यास टिप्पणी	
								स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह			दिन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												

प्रमाणित किया जाता है कि -----के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का मतीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी हैं। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्मी का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (क)

नाम जनपद / इकाई:-

अजनपदीय शाखा में प्रथम चरण 04वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु नापाकन

क्र० सं०	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	मर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्ति अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि			वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणाधीन हों तो दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।	अन्य टिप्पणी	
							स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन			वर्ष	माह				दिन
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13	14	15		16	17	18	

प्रमाणित किया जाता है कि -----के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्मों का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (ख) अजनपदीय

नाम जनपद / इकाई-

अजनपदीय शाखा में द्वितीय चरण 08वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु नामांकन

क0 सं0	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय		जनपदीय सेवावधि		पूर्व नियुक्ति अजनपदीय		अजनपदीय सेवावधि		कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि कर्म स्थानान्तरणार्थीन हो तो उसका आदेश रूप से दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।	अन्य टिप्पणी		
							स्थान से	कब तक वर्ष	सेवावधि	माह दिन	स्थान से	कब तक वर्ष	कुल माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								

प्रमाणित किया जाता है कि -----के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भतीभति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी कर्म का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट अजनपदीय

नाम जनपद/इकाई-

अजनपदीय शाखा में तृतीय चरण 12वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मियों का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु नामांकन

क्र० सं०	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय		जनपदीय सेवावधि		पूर्व नियुक्ति अजनपदीय		अजनपदीय सेवावधि		कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि	वर्ष माह दिन	स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणाधीन हो तो उसका आदेश क्रम संख्या से अंकित किया जाय।	अन्यत्र टिप्पणी	
							स्थान	कब से कब तक वर्ष	सेवावधि	दिन	स्थान	कब से कब तक वर्ष	सेवावधि	दिन	वर्ष माह दिन									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							

प्रमाणित किया जाता है कि _____के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखामें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी कर्म का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष/प्रमारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (घ)

नाम जनपद/इकाई-

मुख्यालयों में नियुक्त निर्धारित 12वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कर्मियों का नामांकन

क्र० सं०	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्ति अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि स्थानान्तरणार्थीन हो तो उसका दिनांक स्फट रूप से अंकित किया जाय।	अन्य टिप्पणी
							स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह			दिन				
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12		13	14	15	16	17	18	

प्रमाणित किया जाता है कि _____के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्म का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (ब) लखनऊ / इलाहाबाद स्थित मुख्यालय

नाम जनपद / इकाई:-

लखनऊ / इलाहाबाद स्थित मुख्यालयों में नियुक्त ऐसे लिपिक कर्मों जिनका गृह जनपद लखनऊ अथवा इलाहाबाद है का निर्धारित कार्यकाल 12वर्ष पूर्ण हो चुका है का जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण हेतु विवरण

क्र० सं०	पद	प्रीनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय		जनपदीय सेवावधि		पूर्व नियुक्ति अजनपदीय		अजनपदीय सेवावधि		कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण का प्रकार	यदि कर्मो अन्तर् टिप्पणी	
							स्थान	कब से कब तक वर्ष	कुल माह दिन	स्थान	कब से कब तक वर्ष	कुल माह दिन	वर्ष	माह दिन									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						

प्रमाणित किया जाता है कि _____ के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखाओं की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी कर्मों का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

परिशिष्ट (डी)

नाम जनपद / इकाई--

स्थानान्तरणाधीन लिपिक कर्मियों का विवरण जिन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

क0 स0	पद	पीएनओ	नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	पूर्व नियुक्ति जनपदीय			जनपदीय सेवावधि			पूर्व नियुक्ति अजनपदीय			अजनपदीय सेवावधि			कुल सेवा अवधि		वर्तमान नियुक्त स्थान	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति अवधि		स्थानान्तरण आदेश संख्या एवं दिनांक व स्थानान्तरित स्थान का नाम	कार्यमुक्त न किये जाने का स्पष्ट कारण	टिप्पणी
							स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	स्थान	कब से	कब तक	कुल वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह			दिन				
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12		13	14	15		16	17	18

प्रमाणित किया जाता है कि _____ के सम्बन्ध में अंकित उपरोक्त सूचनायें सेवा अभिलेख का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त तैयार की गयी है। जनपदीय एवं अजनपदीय शाखायें की गयी सेवा अवधि की गणना सही है। सूची में अंकित सभी सूचनायें पूर्णतया सत्य है इसमें किसी भी कर्म का नाम छूटा नहीं है।

प्रमाण पत्र

(कार्यालयअध्यक्ष/प्रभारी द्वारा दिया जायेगा)

(हस्ताक्षर कार्यालयअध्यक्ष)

पदनाम एवं मुहर

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017/900
सेवा में,

दिनांक:जून 22 2017

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय मानकों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन मानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जोनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :-

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक :-

- 1- शासनादेश दिनांकित: 11-07-1986 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल कमशः 05 वर्ष व 06 वर्ष निर्धारित है तथा परिक्षेत्र का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षी का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल कमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरक्षी व आरक्षी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल सम्पत्ति हो।
- 2- जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0 एवं आरक्षी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक/उपनिरीक्षक ना0पु0 भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3- शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1986 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मियों को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4- जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है उन निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्र में समयावधि पूर्ण हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिक्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की राजकीय रेलवे पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/चौकी में वह कार्यरत रहा है।

- 6- अजनपदीय इकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय इकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उनके गृह जनपद में स्थित है।
- 7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक ना0पु0 एवं उपनिरीक्षक ना0पु0, स0पु0 को पूर्व की भांति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी ना0पु0,स0पु0 व आरक्षी पुलिस को परिक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिक्षेत्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के रिक्तियों के आनुपातिक सन्तुलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को देंगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यमुक्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभिमत प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भांति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्य: स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिवश स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों के परिवारीजन/रिश्तेदारों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 27-क में निहित निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथ्यात्मक आधारों पर ही की जायेगी। अभिसूचना /एल0आई0यू0 की आख्या, कर्मी द्वारा व्यवसाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लिप्त होना अथवा उसका आचरण सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है आदि, स्पष्ट तथ्यात्मक आधार होंगे। मात्र अस्पष्ट राय अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध आरोपों के सन्दर्भ में अनिवार्य रूप से गहराई से जांच करायी जाये तथा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से इंगित प्रशासनिक कारण वास्तव में दूर हो सकेंगे।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय एवं जोनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, वरन शासनादेश दिनांकित: 12-08-2010 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिक्षेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की बहाली पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह बहाली की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता के जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेगे।

एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कर्तव्यरत कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यरत है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्वीकृत है, तो तभी उस पदधारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्वीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहां उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन:-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कर्मियों को प्रत्येक दशा में अन्यत्र स्थानान्तरित/रवाना कर दिया जाये। यदि किन्हीं कर्मियों को जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना सम्भव न हो तो उनका सेवा-विवरण इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के विभागाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेगें।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 2- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस किया जायेगा, जहां से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कर्मियों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उक्त को कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।
- 5- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस आने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहां पर वह वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।


6- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मी जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अवधि में आगणित की जायेगी।

7- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहां सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 द्वारा परिभाषित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

8- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के उपक्रम/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही पैत्रक विभाग को वापस किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।



(एस0बी0 शिरडकर)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।


24/6/17

श्री. आर०पी० खन्ना
CA-DIG (K)

SO-2001/आठ-1-31

25

प्रोग्द.

श्री. माता प्रसाद,
गृह सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-1

विषय- पुलिस दल के कान्सटेबल हेड कान्सटेबल, उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

संखनक : दिनांक : 11 जुलाई, 1986।

प्रतिभा,

उपर्युक्त विषयक शासनोद्देश संख्या-3442/आठ-1-31/70 दिनांक 27 जून 1983 का अतिरिक्तपत्र करते हुए श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि पुलिस दल के कान्सटेबल, हेड कान्सटेबल, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय तथा उक्त शासनोद्देश 14 सीमा तक संशोधित समझा जाय।

- 1- किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किया जाय साथ ही किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को ऐसे जिले में तैनात न किया जाय जो उसके गृह जनपद से सीमावर्ती हो।
- 2- किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवा काल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाय। उप निरीक्षक को जनपद में 6 वर्ष से अधिक तथा निरीक्षक को एक जनपद में 5 वर्ष से अधिक नियुक्त न किया जाय। निरीक्षक को अपने गृह जनपद में उसके उप निरीक्षक की सेवा अवधि का बतलाया समितिले होगा। उप निरीक्षक को निरीक्षक की सेवा अवधि के अंशधरों के लिए भी तैनात किया जाय। जनपदों में निरीक्षक को तैनात करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित हो।
- 3- अभिवृत्ता विभाग के अतिरिक्त सभी उप निरीक्षक जो निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति किये जायें उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस में न की जाय अथवा उनकी नियुक्ति अग्रगण्य अनुसंधान विभाग/सातकता विभाग आदि में की जायेगी। नयी नियुक्ति कम से कम दो वर्ष के लिए होगी। इस नियुक्ति में भी उनके गृह परिक्षेत्र एवं उपरोक्त सीमावर्ती जिलों का प्रतिबन्ध सामान्यतया लागू होगा। यदि कोई भी निरीक्षक प्रोन्नति के लिए अनुसंधान विभाग पर बात जिला कार्यकारी दल के अतिरिक्त अपनी प्रोन्नति के नव नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रोन्नति से विमुक्त कर दिया जाय।

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्य)।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
20 प्र०, लखनऊ।

(2)

- 4- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि धाने के प्रभारी अधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही रहे, अतः सामान्यतया जिन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों ने 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली हो, उन्हें धाने का कार्यभार न दिया जाए। इस संबंध में शारीरिक स्वस्थता हेतु मापदण्ड अलग से जारी किये जा रहे हैं।
- 5- हेड कान्सटेबल तथा कान्सटेबल को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के सर्प.शर्ती जनपदों में तैनात न किया जाए अथवा जिन जनपदों में उनकी अच्छी सम्पत्ति हो, उनमें भी नियुक्त न किया जाए। हेड कान्सटेबल को एक जनपद में 10 वर्ष तथा कान्सटेबल को एक जनपद में 15 वर्ष तक की सक्ती तक ही नियुक्त रखा जा सकता है, जिसमें हेड कान्सटेबल के विषय में इसकी कान्सटेबल की नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी।
- 6- उपरोक्त आदेशों तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जाएंगे।
- 7- कृपया इस सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के संबंधित प्रस्तावों में समुचित संशोधन किये जाने हेतु गृह(पुलिस)अनु०-7 को स्पष्ट प्रस्ताव भेजा जाए।

भवदीय

४०/-

आता प्रसाद

सचिव।

संख्या तथा : 5001(1)/अडि-1-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (2) पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, 3080।
- (3) पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, 3080।
- (4) पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, 3080।
- (5) पुलिस उपमहानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, 3080, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, पुलिस रेडियो संचार, 3080 पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
- (7) गृह(पुलिस) अनुभाग 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 व गोपन-7
- (8) सचिव, मुख्य भंडारी जी।

आता से

३०/-

अपरेश सिन्हा, संयुक्त सचिव।

2

संख्या-797/6-ए-1-12-01/2001

श्रीगुरुजी, सचिव, गुफ उओओ गुआसन।

श्रीगुरुजी, पुलिस महानिदेशक, उओओ लखनऊ।

गुफ (पुलिस) आउओओ-1 लखनऊ

दिनांक 2 मार्च, 2012

विषय: पुलिस बल के आरबी, मुख्य आरबी, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

प्रमाण, आरओएस विभाग शासनादेश संख्या-500/आठ-1-86 दिनांक 1-1, जुलाई 1986 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश में गुफे वर कर्तव्य का निवेश हुआ है कि पुलिस विभाग में कार्यरत आरबी एवं मुख्य आरबी को स्थानान्तरण की वर्तमान व्यवस्था को अनुसार आरबी एवं मुख्य आरबी का स्थानान्तरण उनके गुफे जनपद से दूरस्थ स्थित होने के कारण इन पुलिस कर्मियों की व्यवस्थापक अधिकारियों के सुझाव, निर्देश, विचारणा है कि पुलिस विभाग में आरबी एवं मुख्य आरबी का स्थानान्तरण उनके गुफे जनपद के पड़ोसी जनपदों में किये जाने पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 500/आठ-1-86 दिनांक 1-1 जुलाई, 1986 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
[Signature]
(सोना चौधरी)
सचिव

(संख्या व दिनांक सहित)

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आक्षेपक कार्याधी हेतु भेजित :-

- (1) अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिका, उओओ लखनऊ।
- (2) पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, मुख्यलय पुलिस महानिदेशक, उओओ लखनऊ।
- (3) पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना उओओ पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (4) गार्ड फाइल।

भवदीय,
[Signature]

आशा से,
(सोना चौधरी)
विशेष सचिव

20/3/12

Fax

संख्या: 1091/6-पु-1-15-81/2001

प्रेषक
मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

6603

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2015
विषय:-पुलिस बस के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

3202
शास्त्री

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: डीजी-घार-स्था0-106(370)/2015, दिनांक 17-05-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के 02 वर्ष की समयवधि के अन्तर्गत उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनादेश संख्या: 1039/6-पु-1-14-81/2001, दिनांक 07-06-2014 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

IG (E)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पुलिस विभाग के सभी अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षक तथा उप निरीक्षक को छोड़ते हुए) को, जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

W
D 4 P
25-7-15

3- प्रश्नगत शासनदेश दिनांक 07-06-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

निपदीय
23.07.15
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या: 1091(1)/6-पु-1-15-81/2001 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक/धरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. गृह (पुलिस) एवं गोपन के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

Hc

W

पुलिस महानिदेशक (स्थापना)

26/7/15

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
अनु सचिव।

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्गिक)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ0 प्र0, लखनऊ
02/07/15

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0-(लिपिक)/2017/277


दिनांक:लखनऊ: 23/08/2017

कार्यालय ज्ञाप

इस मुख्यालय के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था0(लिपिक)/2015/1659 दिनांक: 12-08-2017 द्वारा लिपिक संवर्ग कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्गत नीति के बिन्दु संख्या-02 में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

बिन्दु संख्या	पूर्व नीति	संशोधित नीति
1	2	3
2-	कोई भी कर्मी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।	कोई भी कर्मी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध जनपद लखनऊ एवं इलाहाबाद स्थिति मुख्यालयों के लिये लागू नहीं होगा। सम्बन्धित कर्मियों की नियुक्ति अवधि मुख्यालयों हेतु निर्धारित 12 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

अतएव उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या:02 के स्थान पर उपरोक्त कालम 03 पर संशोधित नीति के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।


(एस0बी0 शिरडकर)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस।
- 2- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/समस्त सेनानयक, पीएसी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :-

- 5- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1- तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: डीजी-चार-स्था(लिपिक)/2015/1659

दिनांक: बुधवार, 12 2015

आदेश

शासनादेश संख्या: 1447/6-पु- 1-14- 650(59)/02टी.सी. दिनांक: 10-10-2014 द्वारा पांच संवर्गों (1-पुलिस मुख्यालय संवर्ग, 2-अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग 3-अभिसूचना संवर्ग 4-जिला पुलिस संवर्ग, 5-राजकीय रेलवे पुलिस संवर्ग) के स्थान पर समस्त लिपिक संवर्ग को तीन संवर्ग (1-लिपिक संवर्ग, 2-लेखा लिपिक संवर्ग, 3-आशुलिपिक/ गोपनीय सहायक संवर्ग) में विभक्त किया गया है।

इससे पूर्व प्रचलित व्यवस्था में स्थानान्तरण नीति परिपत्र संख्या: अठारह-304-89 दिनांक: 18-11-1989 द्वारा निर्धारित थी, जिससे पूर्व डीजी-चार-115(89), दिनांक 03.09.85, डीजी-चार-115(342)-85, दिनांक 09.12.85 दो परिपत्रों द्वारा भी नीति निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार समय-समय पर निर्धारित नीति को अतिक्रमित करते हुये लिपिक संवर्ग कर्मियों के स्थानान्तरण विषयक निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :-

- 1- मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदधारकों यथा (1)लिपिक, (2)लेखा लिपिक, (3) आशुलिपिक/ गोपनीय सहायक के कर्मिकों को किसी भी जनपद/इकाई, कार्यालय या मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
- 2- कोई भी कर्मी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 3- मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदधारकों यथा (1)लिपिक, (2)लेखा लिपिक, (3) आशुलिपिक/ गोपनीय सहायक के कर्मियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण हेतु सीमावर्ती का प्रतिबन्ध रहेगा, परन्तु अजनपदीय शाखा/मुख्यालयों में नियुक्ति कर्मियों पर यह लागू नहीं होगा।
- 4- प्रथम नियुक्ति अनिवार्यतः अजनपदीय शाखा में की जायेगी, जिसकी सामान्यतयः न्यूनतम अवधि 04 वर्ष की होगी।
- 5- मिनिस्टीरियल संवर्ग का कोई कर्मचारी अगर नियुक्ति के समय अभिसूचना इकाई में जाने का विकल्प देता है तो उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष उसे अभिसूचना इकाई आयंटित किये जाने पर विचार किया जायेगा, जो शेष सेवा अवधि में सामान्यतया अभिसूचना इकाई में ही नियुक्त रहेगा, केवल विशेष परिस्थितियों में अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना उ०प्र० लखनऊ की आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन के उपरान्त ही किसी कर्मी को अभिसूचना इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।
- 6- समस्त पदधारकों के लिये पी०ए०सी०, जी०आर०पी० एवं अन्य अजनपदीय शाखा/इकाईयों में 12 वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल होगा, जिसकी नियुक्ति अवधि तीन चरणों में (04-04 वर्ष) में की गयी जायेगी।
- 7- अजनपदीय इकाई में प्रथम नियुक्ति 04 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त भी यदि कोई कर्मी अजनपदीय इकाई में बना रहना चाहता है तो सामान्यतया इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- अजनपदीय इकाई में प्रथम चरण 04 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त प्रत्येक 08-08 वर्ष के उपरान्त अजनपदीय कार्यकाल का द्वितीय व तृतीय चरण, पूर्ण किया जायेगा। प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुये किसी भी कर्मी को किसी भी समय जनपद/शाखा में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- 9- किसी पदधारक की जहाँ वह पूर्व में नियुक्त रह चुका है, पूर्णनियुक्ति में 03 वर्ष का न्यूनतम अन्तराल अपरिहार्य होगा।
- 10- एक जनपद में नियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी तथा एक परिक्षेत्र में नियुक्ति का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष होगा।

(Handwritten signature)

- 11- इलाहाबाद पुलिस मुख्यालयों को अतिरिक्त किसी भी एक जनपद में जनपदीय एवं अजनपदीय प्रशासनिक नियुक्ति अवधि को सम्मिलित करते हुये, कुल अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 12- किसी भी स्थान पर तैनाती के अधिकतम अवधि की गणना में मौजूदा पद के साथ-साथ उससे नीचे के सभी पदों पर विभिन्न समय में की गई सेवा भी जोड़ी जायेगी।
- 13- निर्धारित अवधि पूर्ण, प्रशासनिक अथवा अनुकम्पा के आधार पर कर्मियों के स्थानान्तरण पर प्रथमतः परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं इकाइयों के विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अपने स्तर से विचार किया जायेगा एवं सामान्यतया इस मुख्यालय को वहीं प्रकरण सन्दर्भित किये जायेंगे जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र के स्तर से विचार किया जाना सम्भव न हो।
- 14- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा किसी कर्मचारी को सामान्यतः जोन/शाखा के मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु आवश्यकतानुसार किसी भी कर्मचारी को सीधे जनपद/इकाई में भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
- 15- पुलिस विभाग की किसी भी शाखा/इकाई/जनपद में नियुक्त किसी भी कर्मियों के बारे में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर उसे जनहित में किसी भी शाखा/इकाई/जनपद में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी स्थानान्तरित कर्मियों को नवनियुक्ति स्थल पर सामान्यतया 02 वर्ष रहना आवश्यक होगा।
- 16- गोपनीय सहायक संघर्ष के कर्मियों को किसी एक जनपद स्तरीय कार्यालय में कुल 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही इन कर्मियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भी तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 17- अजनपदीय इकाई में किसी एक स्थान पर नियुक्ति की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी तथा तदोपरान्त विभागाध्यक्ष एक शाखा/अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरित करेंगे।
- 18- पुलिस मुख्यालय अथवा अजनपदीय विभाग में किसी मुख्यालय पर किसी एक शाखा में नियुक्ति की अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी तथा किसी भी मुख्यालय पर नियुक्ति की अधिकतम अवधि 12 वर्ष होगी। मुख्यालय पर कार्य की आवश्यकता, अनुरूप इस अवधि को अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त ही बदला जा सकता है।
- 19- निर्धारित समय अवधि पूर्ण करने के उपरान्त दूसरी शाखा/इकाई में स्थानान्तरण किसी कर्मियों का अधिकार नहीं होगा।
- 20- उपरोक्त निर्धारित नीति के विपरीत अगर किसी प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता आवश्यक हो तो इसे पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित किया जाए, जो अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त अग्रिम आदेश जारी करेंगे।

उपरोक्त स्थानान्तरण नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक पीएसी जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी सेक्टर उ0प्र0।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/समस्त सेनानयक, पीएसी उत्तर प्रदेश।